न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 60 / 2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

आजाद शाह पिता श्री निसार अहमद शाह, जाति फकीर, आयु 60 वर्ष, पेशा काश्त एवं मजदुरी, निवासी सिंगोली बेगूँ रोड़ नई आबादी वार्ड नं. 01, तहसील व थाना सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.)।

...............प्रार्थी

विरूद्व

1. मोत्या पिता कालू भील निवासी जयनगर तहसील रावतभाटा।
2. नारू पिता भंवरा भील निवासी जयनगर तहसील रावतभाटा।
3. बालु पिता अमरा भील निवासी जयनगर तहसील रावतभाटा।
4. नाथू पिता रोडा भील निवासी जयनगर तहसील रावतभाटा।
5. गोकल पिता नोला भील निवासी जयनगर तहसील रावतभाटा।
6. छोगा पिता पेमा ओड निवासी गोपालपुरा(बोराव) तहसील रावतभाटा।
7. श्यामलाल पिता राजू भील निवासी जयनगर तहसील रावतभाटा।
8. भागचंद पिता कजोड धाकड़ निवासी गणेशपुरा तहसील रावतभाटा।
9. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

...........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री आजाद हुसैन।**

दिनांकः– 31 / 03 / 2022

–:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा जयनगर तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 03 खंसरा सं. 100 रकबा 1.89 है0 लगान 1.89 रूपये प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खंसरा सं. 100 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 23.03.2022 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया मोत्या बाई के फौत हो जाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीया के विरूद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही नही चाहने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व दिनांक 29.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 31.03.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा जयनगर तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 03 खंसरा सं. 100 रकबा 1.89 है0 लगान 1.89 रूपये प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगड़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ